न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
03 / 20	एफएसएस एक्ट, 2006	03 / 09 / 2020

प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

--आवेदक

बनाम

नवल किशोर गोयल पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद गोयल , उम्र लगभग 46 वर्ष जाति महाजन (एफबीओ व मालिक) फर्म गोयल मिष्ठान भण्डार ,प्लाट नं0 एफ–231 ,रिको इन्डस्ट्रियल एरिया, सालोदा गंगापुर सिटी निवासी श्रीराम स्कूल के सामने ,आर्य समाज मन्दिर रोड गंगापुर सिटी।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः– 28.08.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 06.09.2019 को लगभग 02:00 पीएम पर दौराने गश्त श्री कैलाश चन्द्र सोनी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर के साथ फर्म– गोयल मिष्ठान भण्डार प्लाट नं0 एफ 231 ,रिको इन्डस्ट्रियल एरिया, सालोदा गंगापुर सिटी पर निरीक्षण हेतु पहुँचा। वहां पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम नवल किशोर गोयल पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद गोयल ,उम्र 46 वर्ष बताया तथा स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। आवेदक ने नवल किशोर को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। नवलकिशोर गोयल अपनी फैक्ट्री पर दूध पाक मिठाई, सोहन पपड़ी आदि खाद्य साम्रगी का निर्माण कर आम जन को बाजार में विक्रय करता है। आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय कारखाने पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु खाद्य वस्तु दूध पाक मिठाई के 10 पैकिट जो कि गत्ते के पैकिटों में थे। प्रत्येक पैकिट के लगभग 4 किलो दूध पाक मिठाई थी। फर्म मालिक नवलकिशोर से पूछने पर उसने दूधपाक मिठाई दूध व चीनी से निर्मित करना बताया। दूधपाक मिठाई के पैकिटों का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता व फर्म मालिक नवल किशोर गोयल उक्त दूध पाक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) में से शुद्धता की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहां तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5 ए तैयार कर उपस्थित गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर मैने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक ने एक गत्ते के पैकिट जिसमें लगभग 04 किलो दूध पाक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) थी में से 2 किलों दूध पाक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) शुद्धता की जाच हेतु नमूना लेने बाबत् एक साफ ,सूखे व खाली वर्तन में खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 240/– रू0 अक्षरे दो सौ चालीस रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की। आवेदक ने खरीदशुदा दूध पाक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) मिठाई को अच्छी तरह मिक्स कर चार साफ, सुखी व खाली कांच की शिशियो मे बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में 40 बूँद फोरमेलीन की डालकर चारों शीशीयों के ढक्कन अच्छी तरह से टाइट बन्द कर , चार लेबल तैयार करके उनपर स्थान, दिनांक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वय के हस्ताक्षर कर ,विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक शीशी पर अलग–अलग चिपकाकर शीशीयो को अलग–अलग ब्राउन पेपर में लेपटकर पेपर के सिरों को गोंद से चिपकाकर शीशीयों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर एच–1679 गोंद से नियमानुसार प्रत्येक शीशी पर चिपकाकर प्रत्येक शीशी को एक मोटे मजबूत सख्त धागें में बांधकर चार–चार जगह चपडी से सील मोहर करके चारो शीशीयों पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द शीशीयो को अपने कब्जे में लिया। मौके पर की गई कार्यवाही मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सिल बन्द किया गया था। उक्त फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोटल एक आउटर कवर में लेपटकर सिल मोहर कर तथा अलग से फार्म नं0 6 की दो प्रतियों एक लिफाफे में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द शिशि व फार्म नं0 6 का सील बन्द लिफाफा ... के द्वारा दिनांक 09.09.2019 को मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा ... नमूना के दो सील बन्द बोटल मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर ... बन्द ... मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति को अलग से आउटर कवर मे ...

जिला कलेक्टर एवं
त जिला मजिस्ट्रेट
सिटी

सील मोहर कर दिनांक 09.09.2019 को नरेश कुमार चेजारा एफएसओ कार्यालय सी.एम.एच.ओ. सवाई माधोपुर द्वारा अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एफएसएसए/2019/2203 दिनांक 20.09.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2037/एक्ट/2019/1581 दिनांक 16.09.2019 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ दूध पाक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) का नमूना असुरक्षित खाद्य प्रकृति का पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के कम में आवेदक द्वारा नमूने की रैफरल प्रयोगशाला से जांच करवाने हेतु आवेदक किया गया। उक्त कम में नमूने का दूसरा भाग की रैफरल प्रयोगशाला पुणे से जांच करवाने बाबत् नमूना रैफरल प्रयोगशाला पूर्ण भिजवाया । अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एफएसएसए/2020/140 दिनांक 07.02.2020 के द्वारा उक्त नमूने की निदेशक रैफरल प्रयोगशाला पुणे की जांच रिपोर्ट सटिफिकेट नं0 **RFL/DO/607/19/64/2020** दिनांक 24.01.2020 आवेदक को भेजते हुये एक प्रति एफबीओ व मालिक नवल किशोर गोयल को भिजवायी गयी। निदेशक रैफरल प्रयोगशाला पुणे की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना अवमानक स्तर प्रकृति का पाया गया। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)का उल्लघंन है। जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है तथा खाद्य कारोबारकर्त्ता ने बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ही खाद्यकारोबार कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(2) का भी उल्लंघन किया है जो कि धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

उक्त प्रकरण में निदेशक रैफरल प्रयोगशाला पुणे की जांच रिपोर्ट सटिफिकेट नं0 **RFL/DO/607/19/64/2020** दिनांक 24.01.2020 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का एवं खाद्य कारोबारकर्त्ता ने बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ही खाद्यकारोबार कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(2) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 51 व 58 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर सर्वप्रथम अभियुक्त पक्ष की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् ग्वाह को जिरह हेतु तलब फरमाने बाबत् पर बहस सुनी गई सर्वप्रथम यह पाया गया कि अभियुक्त पक्ष द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र तीन साल पश्चात् प्रस्तुत किया है। जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्त पक्ष द्वारा उक्त प्रकरण को बिलम्ब करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है तत्पश्चात् उभय पक्ष की मूल बहस सुनी गई।

वकील अभियुक्त ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा अभियुक्त से खाली कागजों मे हस्ताक्षर कराये गये थे। आवेदक द्वारा अभियुक्त को नमूना वास्ते कय की गई दूधपाक मिठाई का भी किसी प्रकार का कोई मूल्य अदा नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा नमूना वास्ते कय दूधपाक मिठाई को भी आवेदक के सामने शिशीयों में पैक नहीं किया गया है ना ही उक्त शीशियों को साफ किया ना ही अभियुक्त के सामने कोई फार्मेलीन डाली गई है। आवेदक द्वारा उक्त कार्यवाही अभियुक्त के सामने की ही नहीं है,साथ ही वकील अभियुक्त ने अभियुकत के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्राप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न निदेशक रैफरल प्रयोगशाला पुणे की जांच रिपोर्ट सटिफिकेट नं0 **RFL/DO/607/19/64/2020** दिनांक 24.01.2020 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने खाद्य पदार्थ दूध पाक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) का निर्माण व विकय करने का दोषी पाया गया है, साथ ही अभियुक्त पक्ष का यह कथन की उक्त कार्यवाही अभियुक्त के समक्ष नहीं कि गई है। उक्त कम में फार्म 5ए , नमूना खरीद बिल, मौका फर्द पर स्वयं अभियुक्त के हस्ताक्षर है तथा अभियुक्त का आधार कार्ड व पैन कार्ड पत्रावली में संलग्न है। जिसके कारण अभियुक्त पक्ष का उक्त कथन निराधार प्रतीत होता है, साथ ही अभियुक्त द्वारा आंदिनांक तक भी न्यायालय हाजा में खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत नही किया है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51,58 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 80,000 (अस्सी हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से [illegible] से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह [illegible] दण्डित [illegible]।

जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट
सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी, जिला

राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी